न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–19/2025
जी.सी.एम.एस.नं.–2025/31

छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 20 ए एस तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट — वादी की ओर से
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 29/9/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–244/458 मु.नं.–19 का किला नं.–13/2 का 0.126, 14 ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 का 0.228, 20/2 का 0.025 खाला, 25/2 का 0.173, 25/3 का 0.025 खाला कुल 2.095 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला वादी के नाम विचित्रसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रति सलग्नं है। वादी का नाम छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह हैं लेकिन वादी का घरेलू नाम विचित्रसिंह होने के कारण वादी को घर पर रिश्तेदारी में दोनो नामों विचित्रसिंह व छोटूसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे। वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता हैं कि वादी के पिता प्रसन्नासिंह पुत्र सन्तासिंह के नाम से वाके चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं. 245/464 मु.नं.–46 में 3.124 हैक्टर व पत्थर सं.–244/458 मु.न.–19 की 3.162 हैक्टर कुल 6.286 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता प्रसन्नासिंह की मृत्यु हो चुकी हैं जिनकी मृत्यू उपरांत उक्त कृषि भूमि वादी व अन्य वारिसो के नाम राजस्व अभियान में दिनांक 08.02.2006 को इन्तकाल दर्ज किया गया उसमें सहबन से वादी के सही नाम छोटूसिंह के बजाय यादी का घरेलू नाम विचित्रसिंह अंकित हो गया था चूंकि वादी व वादी का परिवार ग्रामीण परिवेश का था। वादी भी ग्रामीण परिवेश का होने का काश्तकार पेशा व्यक्ति है। राजस्व अभियान में इन्तकाल दर्ज करवाते समय वादी के परिवार के सदस्यो की भूलवश सहबन से वादी का घरेलू नाम विचित्रसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विचित्रसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह के नाम से दर्ज जो कि एक सदभाविक मा[illegible] है। वादी का सही व वास्तविक नाम छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह ही हैं तथा वादी के आधार कार्ड व [illegible] राशन कार्ड आदि जिनकी प्रतियां सलग्नं है, में वादी का नाम छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह [illegible] है। लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम विचित्रसिंह के नाम से पुकारते थे इस प्रकार छोटूसिंह व विचित्रसिंह वादी के ही नाम हैं तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना [illegible]कारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर प्रधानमन्त्री योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि के सम्बधं में अरसा 5 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि आपका यानि छोटूसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है बल्कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में विचित्रसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 14:32:36 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पुत्र प्रसन्नासिंह दर्ज हैं जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम छोटूसिंह है और घर पर उसे उसके घरेलू नाम विचित्रसिंह के नाम से बुलाते हैं और छोटूसिंह व विचित्रसिंह दोनो नाम मेरे ही हैं तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय मे चाराजोही करने के लिऐ कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें बस यही बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व दस्तावेजी नाम छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह हैं लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में उसके घरेलू नाम विचित्रसिंह दर्ज हो गया हैं जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भुल है भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–2 होने के कारण वादी को काफी मुशकिलात का सामना करना पड रहा है। क्योकिं राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत रूप से विचित्रसिंह दर्ज हैं और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम छोटूसिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की भूमि के सम्बध में बैंक इत्यादि से सहायता राशि व अन्य सुविधाए आदि लेने मे वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानीयों का सामना करना पडेगा। इसलिऐ भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहबन से गलत दर्ज हुऐ नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं ताकि भविष्य में वादी को दो अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पडे और वादी अपने सही व वास्तविक नाम छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। ऐसी स्थिति में वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार हैं फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न रूप से निर्णीत एवं डिक्री फरमाया जावे। इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारितकी दजावे कि राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज वाके चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ पत्थर सं. 244/458 मु नं.–19 का किला नं.–13/2 का 0.126, 14 ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 का 0.228, 20/2 का 0.025 खाला, 25/2 का 0.173, 25/3 का 0.025 खाला कुल 2.095 हैक्टर नाली प्रथम मय खाला जो वादी के विचित्रसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह के नाम से दर्ज है, के सबंध में वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम छोटूसिहं पुत्र प्रसन्नासिहं दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ़ का पत्थर सं.–244/458 मु.नं.–19 का किला नं.–13/2 का 0.126, 14 ता 19 प्रत्येक 0.253, 20/1 का 0.228, 20/2 का 0.025 खाला, 25/2 का 0.173, 25/3 का 0.025 खाला कुल 2.095 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि खातेदार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पक्ष परिवार के अन्य सदस्यो के द्वारा दस्तबरदारी करने पर दर्ज हुआ जो कि रिकार्डड तथ्या के द्वारा सहवन से होने का कथन गलत है। कृषि भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में वादी के पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यो के द्वारा दस्तबरदारी करने एवं प्रार्थी के द्वारा स्वंय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थी में स्वंय विचित्रसिंह नाम प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रार्थी के नाम से दर्ज हुआ जो की रिकार्डड तथ्या प्रार्थी के द्वारा ज्ञान नहीं ओर पूर्व में [illegible] गलत हैं क्योकि प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज करने की कार्यवाही प्रार्थी स्वंय ने जि[illegible] के करवायें जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में इस तथ्य का भलीभांति [illegible] के बिन्दू पर अस्वीकार करने के योग्य हैं मुताबिक रिक[illegible] बी–बी का पत्थर न.–244/358 की 2.095 हैक्टयर भू[illegible]सनासिंह जाति मजबी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह भूमि प्रतिवादी को परिवार के अन्य सदस्यो के द्वारा दस्तबरदारी करने पर वादी को पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त हुई। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज करने का कष्ट करे। रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 54 जीबी के दिनांक 14.09.2023 मे जारी प्रमाण–पत्र में छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह जाति मजहबी निवासी 20 ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:36 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

एस तहसील अनूपगढ़ का घरेलू नाम विचित्रसिंह है। समस्त कागजात में उसका नाम छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह अकित हैं उक्त विचित्रसिंह व छोटूसिंह एक ही व्यक्ति हैं जिसे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी विचित्र सिंह पुत्र प्रसन्नासिंह जाति मजबी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह भूमि प्रतिवादी को परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा दस्तबरदारी करने पर वादी को पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त हुई। स्टेट की ओर से वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज करने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम विचित्रसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र प्रसन्नासिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी अस्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी अस्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:36 IST
Reason: SelfAttested